(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान मानित वि विविद्यालय) शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन 56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit Universitj

Established by an Act of Parliament

Dated: 23.03.2022

(Formerly Rashtriya Sanskrif Sansthan, Deemed to be University)
Under Millistry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22,/09/2 2

To

The negisWar Sampumanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh - 221002

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) **2021-22** - reg..

Str/ Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Cenhal Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/EducaŁion Institutions/Organizations vide notification No.CSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommenétations, which is also available on University's website. Tlle recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of **no.i000000/-** (**Rupees** ten lakh **only**), under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Shabdashala Project -

W (P.I. - Prof. Amif Kumar Shukla, Co.P.I. - Dr. Madhusudan Mishra, Dr. Maja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website <u>w.swskrit.nic.in</u>. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

GENERAL ENQUIRY 011-28520977, 28521094, 28524993. 28524995, 28525963
VC: 28523949, REGISTRAR . 28520979, ACD: 28521948, ADM/N: 28524532, EXAM: 28521258, N.F.S.E.: 28524387, MSP: 28523611, SCHEMES: 28520966, EMAIL: centralsanskrituniversity% g mail.com, WEBSITE: \\(\gamma \) WW.Sanskrit.nic.\(\gamma \) n

Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

- a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the I ligli-Level Scrutiny Committee).
- b. The pre-receipt for **Rs.1000000/-**, duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).
- c. The bank account details such as: -
 - 1. Name of the account holder (Institution)
 - 2, Name of the Bank
 - 3. Account number
 - 4. IFSC Code
 - 5. PAN/TIN number
 - 6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/ expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Prof. R.G. Murali Krishna)
Director (Central Schemes)

(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय) शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन 56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanski it Unixersit3'

Established by an Act of Parliament

Dated: 23.03.2022

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22/10/ k I

То

The Registrar Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh — 221 002

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) 2021-22 - reg..

Sir/Madam,

It gives me immense pleasure *to* inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related progranunes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 ProJ'ects) from the Universities/Education Institutions/Organizations vide notification No.PSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

Further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30'^ meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of Rs.400000/- (Rupees five lakh only), under Ashtaadashi (18 Projects) for condiicting the project i.e. - Reprinting of Rare Books Project -

W (P.I. - Prof. Amit Kumar Shtikla, Co.P.I. - Dr.

Madhusudan Mishra, Dr. Raja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website www.sanskrit.nic.in. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

GENERAL ENQUIRY 011-28520977, 28521904, 26524993, 28524595, 28525963 VC: 28523949, REGISTRAR: 28520979, ACD: 28521948, ADMIN: 28524532, EXAM: 2852-258, N.F.S.E.: 28524387, MSP: 28523611, SCHEMES: 28520966, EMAIL: centralsanskrituniversity gmail,com, WEBSITE: www.sanskrit nic.in Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

- a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the High-Level Scrutiny Committee).
- b. The pre-receipt for Rs.400000/-, duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).
- c. The bank account details such as: -
 - 1. Name of the account holder (Institution)
 - 2. Name of the Bank
 - 3. Account number
 - 4. IFSC Code
 - 5. PAN/TIN number
 - 6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Prof. R.G. Murali Krishna) Director (Central Schemes)

संख्या-108 /2021/2585/सत्तर-4-2021-4(28)/2021

प्रेपक.

अब्दल समद, विशेष सचिव, उ०५० भासन्।

भेजा मे.

कलसचिव/वित्त अधिकारी,

- 📙 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, नागणसी।
- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, भेरठ ।
- महात्मा ज्योतिबा फुले रूडेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली ।
- छत्रपति शाह् जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुरा
- प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज ।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
- मिदार्थ विश्वविद्यालय कपिलवम्नु सिदार्थनगर ।
- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जीनपुर ।
- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- ख्वाजा मुईन्दीन 'वेश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

लखनऊ: दिनांक:२८ दिसम्बर, 2021

FOIVESIST information

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अन्दान की स्वीकृति 🗀

गहोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य निश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनातर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया मया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिगद, लखनऊ के पत्र संख्या-356/रा030शि0प0/01/2021, दिनांक 19.08.2021, पत्र संख्या-388/म030शि0प0/01/2021, दिनांक 08.09.2021, पत्र संख्या-503/स030शि0प0/ 01/2021, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्र संख्या-522/पा030 शि0प0/02/2021, दिनांक 08.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलाम विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विञ्चविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतू "रिसर्च एण्ड डेवलपर्मेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू । 1,09,75,832/-(रूपये एक करोड नी लाख पचहत्तार हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

 रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केभिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्फ्न आदि आक्तम्मिक व्यय पर किया जायेगा।

शासनादेश्-संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्राग निर्गत रिमर्च एण्ड डेचलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन मुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये

4 30 .0 H&D -- 314.0

सम्प्रानित्व संस्था वि विभावस्य वाराणसी व्यवस्थान विश्वास्य विकास विकास विभावस्था विश्वास्य भी वद्युक्ष रामवित्य नो महाराज पीठ -अध्यादेव धारा ५।१२१०१३

- यह अध्यदेश श्री सद्गुर रामासंह जी गहाराज पोट अध्यादेश नहशादेगा ।
 सम्पूर्णानिन्द संस्कृत विश्व विश्व विश्व विश्व से श्री सद्गुरू रामिसंह जी महाराजपीठ भी
 स्थापना ने तिये श्री सद्गुरू जगजीत सिंह महाराज द्वारा विश्व विश्वालय को प्रदेश
 पांचेशाख रूपये की धनेशाशि को " श्री स्थापुर रामिसंह जो गहाराज पोठ निष्ध "
 नाम से सावधि जमा खाते में रक्षा जगयमा और उससे प्राप्त आद को इसो नाम से
 वयस खाते में रक्षा साथेगा जिसका उपयोग इस अध्यादेश ने अवन्ती के अनुसार विश्वा
- विश्वविद्यालय ने दर्शन संनाय के अन्तर्गत श्री सप्गुरू राम सिंह जो महाराज पीठ"
 नाम एक विजिट्टम देवर होगा सिंग अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक विद्वान को एक वर्ष के
 िल्पे आगंत्रित किया जायेगा जिसे ६० ५०००/- मासिक मानदेव तथा आने जाने
 के लिये पाना-च्यम और कार्यालय व्यय । प्रासंगित च्यम के वि प्रतिवर्ष 10,000
 एगये उन्तर निध के आम ने प्रताल निष्या जायागा । पूर्ण गोठ स्थायी एम से
 स्थापित होने पर यह पीठ स्वसंत्र दवाई के स्था में नार्य करेगा ।
- . नामधारी दरवार से ऐसी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर जिसको आय से पूरे वर्ष का मानदेव तथा फोट के अवालन ब्याय का भुगतान सम्भव हो , पीठ करी
- स्थाधी किया जा सकेगा ।

 5. वीठ के अन्तर्गत निश्वता विद्वान गुरूनानक देव ,गुरू गौ विनद सिंह और श्री सद्गुरू

 5. वीठ के अन्तर्गत निश्वता विद्वान गुरूनानक देव ,गुरू गौ विनद सिंह और श्री सद्गुरू

 राम सिंह को परम्परा से सम्बद्ध विराध विषय पर गहन शोध कार्य , व्याह्मान और

 हुलनात्मक धर्म के देश में कार्य करेगें । इसके लिये सक्ष्म व्यक्ति उपलब्ध न होने पर भ

 हुलनात्मक धर्म देशन अथवा भारत की प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध किसी विषय पर

 कार्य करने की अनुमाल हो जा सकती है ।
- 6. पीठ दारा प्रतिवर्ध श्री सद्गुर रामिशंस जी महाराज वा वा भित स्मृति समारी व जाभी जित विधा जादेगा , जिसकी विधि और कार्यक्रम का निर्धारण नामधारी दरजार को पूर्व सहमति से किया जायेगा । विधिक स्मृति समारी ह के आयोजन के विधे नामधारी दरवार द्वारा प्रतिवर्ध ४० 12000/- वारह हजार ६० अतिरिक्त पुदान किया जायेगा ।
- 7. ज्ञानधारा के प्रवाह को अजम बनाये रहते वे लिये तुलनात्मक धर्म के अध्ययन हेतु दो शीच छात्रों को पीठ टारा २०१०००/- छएक हजार २०१ मासिक छात्रवृत्ति प्रदान शीच छात्रों को पीठ टारा २०१०००/- छएक हजार ३०१ मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी जिसके लिये नामधारी दरवार द्वारा प्रतिवर्ध 24,000/- ध्वीवीस हजार १४ अतिरिक्त प्रदान विदा जायेगा ।
- ह. पीठ द्वारा शोध प्रवन्धों एवं गुश्चाणाी के संस्कृत पथानुसाद इंपंजाबी च्यास्था सिंधत ह के प्रवासन तथा अपनारिक्ष पाण्यु लिपियों के सम्पादन एवं प्रवासन की सिंधत ह के प्रवासन तथा अपनारिक्ष पाण्यु लिपियों के सम्पादन एवं प्रवासन की ज्यासन विशेष शिवे अस्तिरिक्त धन को स्थाप्त नामधारी दरवार व्यवस्था को जायेगो । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स र्थप्रथम "गुरू चन्द्रोदय कोपुदी" के द्वारा को जायेगो । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स र्थप्रथम की व्यवस्था नामधारी दरवार सम्यादन एवं प्रवासन के रिवे अविधित असिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरवार वारा तो जायेगो ।
- 9. पीठ दारा प्रतिवर्ध संस्कृत एवं गुरुमुधी भाषा तथा वाह्मप के सम्सन्ध में एव मोध्से अपनी जिल की जावेगी जार . में भीरे वाले न्या के दिवे नामधारी दरवार तारा प्रतिवर्ध का जावेगी। प्रतिवर्ध का,000/- रूपवास एकार रहाई अस्तिरिक्त प्रवान किया वादेगी।

10. इस अध्यादेश के अनुन्छेद 6,7,8,और 9 में उरिलारिस ठयम के रिनराहत अतिरिवत स्थायो निधि प्राप्त हो जाने पर उसको आय से ये व्यय किये

।। पीठ द्वारा अन्य ऐसे कार्थी को सम्यन्त किया जा सकेगा जो पीठ के उद्देशकों को पूर्ति में सहायक हो अथवा उनके अनुरूप हो ।

12. योठ का संवालन पांच सदस्यों की एक श्रीमित दारा किया जायेगा जिसमें

। . बुलप ति

2. संनापाध्यक्षा -दर्शन संनाप

3. विभागा ध्यक्षा - तुल्नात्मक धर्म दर्शन विभाग-सदस्य

4. श्री सद्गुर जगजीत सिंह जी महाराज द्वारा 5-नामित दो व्यक्ति

अगवश्यकतानुसार समिति किसी सदस्य को अमिरितत कर सवेगी। 13. पोठ के नाम , उद्देश्यों और उसके कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के उपवन्धों में कोई संशोधन , परिवर्धन, परिवर्धन औ सद्गुरू जगजीत सिंह की पूर्व जन्मित और उपर्युक्त थाए 12 के अन्तर्गत गठिल सिमिति की संस्तुति के तिना नही विया जायेगा।

> Registrar Sampurnanand Sanskrit University Varanasi

(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान मानित वि विविद्यालय) शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन 56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit Universitj

Established by an Act of Parliament

Dated: 23.03.2022

(Formerly Rashtriya Sanskrif Sansthan, Deemed to be University)
Under Millistry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22,/09/2 2

To

The negisWar Sampumanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh - 221002

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) **2021-22** - reg..

Str/ Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Cenhal Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/EducaŁion Institutions/Organizations vide notification No.CSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommenétations, which is also available on University's website. Tlle recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of **no.i000000/-** (**Rupees** ten lakh **only**), under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Shabdashala Project -

W (P.I. - Prof. Amif Kumar Shukla, Co.P.I. - Dr. Madhusudan Mishra, Dr. Maja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website <u>w.swskrit.nic.in</u>. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

GENERAL ENQUIRY 011-28520977, 28521094, 28524993. 28524995, 28525963
VC: 28523949, REGISTRAR . 28520979, ACD: 28521948, ADM/N: 28524532, EXAM: 28521258, N.F.S.E.: 28524387, MSP: 28523611, SCHEMES: 28520966, EMAIL: centralsanskrituniversity% g mail.com, WEBSITE: \\(\gamma \) WW.Sanskrit.nic.\(\gamma \) n

Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

- a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the I ligli-Level Scrutiny Committee).
- b. The pre-receipt for **Rs.1000000/-**, duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).
- c. The bank account details such as: -
 - 1. Name of the account holder (Institution)
 - 2, Name of the Bank
 - 3. Account number
 - 4. IFSC Code
 - 5. PAN/TIN number
 - 6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/ expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Prof. R.G. Murali Krishna)
Director (Central Schemes)

(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय) शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन 56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanski it Unixersit3'

Established by an Act of Parliament

Dated: 23.03.2022

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)

Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22/10/ k I

То

The Registrar Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh — 221 002

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) 2021-22 - reg..

Sir/Madam,

It gives me immense pleasure *to* inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related progranunes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 ProJ'ects) from the Universities/Education Institutions/Organizations vide notification No.PSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

Further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30'^ meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of Rs.400000/- (Rupees five lakh only), under Ashtaadashi (18 Projects) for condiicting the project i.e. - Reprinting of Rare Books Project -

W (P.I. - Prof. Amit Kumar Shtikla, Co.P.I. - Dr.

Madhusudan Mishra, Dr. Raja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website www.sanskrit.nic.in. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

GENERAL ENQUIRY 011-28520977, 28521904, 26524993, 28524595, 28525963 VC: 28523949, REGISTRAR: 28520979, ACD: 28521948, ADMIN: 28524532, EXAM: 2852-258, N.F.S.E.: 28524387, MSP: 28523611, SCHEMES: 28520966, EMAIL: centralsanskrituniversity gmail,com, WEBSITE: www.sanskrit nic.in Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

- a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the High-Level Scrutiny Committee).
- b. The pre-receipt for Rs.400000/-, duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).
- c. The bank account details such as: -
 - 1. Name of the account holder (Institution)
 - 2. Name of the Bank
 - 3. Account number
 - 4. IFSC Code
 - 5. PAN/TIN number
 - 6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Prof. R.G. Murali Krishna) Director (Central Schemes)

संख्या-108 /2021/2585/सत्तर-4-2021-4(28)/2021

प्रेपक.

अब्दल समद, विशेष सचिव, उ०५० भासन्।

भेजा मे.

कलसचिव/वित्त अधिकारी,

- 📙 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, नागणसी।
- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, भेरठ ।
- महात्मा ज्योतिबा फुले रूडेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली ।
- छत्रपति शाह् जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुरा
- प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज ।
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
- मिदार्थ विश्वविद्यालय कपिलवम्नु सिदार्थनगर ।
- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जीनपुर ।
- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- ख्वाजा मुईन्दीन 'वेश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

लखनऊ: दिनांक:२८ दिसम्बर, 2021

FOIVESIST information

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अन्दान की स्वीकृति 🗀

गहोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य निश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनातर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया मया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिगद, लखनऊ के पत्र संख्या-356/रा030शि0प0/01/2021, दिनांक 19.08.2021, पत्र संख्या-388/म030शि0प0/01/2021, दिनांक 08.09.2021, पत्र संख्या-503/स030शि0प0/ 01/2021, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्र संख्या-522/पा030 शि0प0/02/2021, दिनांक 08.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलाम विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विञ्चविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतू "रिसर्च एण्ड डेवलपर्मेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू । 1,09,75,832/-(रूपये एक करोड नी लाख पचहत्तार हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

 रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केभिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्फ्न आदि आक्तम्मिक व्यय पर किया जायेगा।

शासनादेश्-संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्राग निर्गत रिमर्च एण्ड डेचलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन मुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये

4 30 .0 H&D -- 314.0

सम्प्रानित्व संस्था वि विभावस्य वाराणसी व्यवस्थान विश्वास्य विकास विकास विभावस्था विश्वास्य भी वद्युक्ष रामवित्य नो महाराज पीठ -अध्यादेव धारा ५।१२१०१३

- यह अध्यदेश श्री सद्गुर रामासंह जी गहाराज पोट अध्यादेश नहशादेगा ।
 सम्पूर्णानिन्द संस्कृत विश्व विश्व विश्व विश्व से श्री सद्गुरू रामिसंह जी महाराजपीठ भी
 स्थापना ने तिये श्री सद्गुरू जगजीत सिंह महाराज द्वारा विश्व विश्वालय को प्रदेश
 पांचेशाख रूपये की धनेशाशि को " श्री स्थापुर रामिसंह जो गहाराज पोठ निष्ध "
 नाम से सावधि जमा खाते में रक्षा जगयमा और उससे प्राप्त आद को इसो नाम से
 वयस खाते में रक्षा साथेगा जिसका उपयोग इस अध्यादेश ने अवन्ती के अनुसार विश्वा
- विश्वविद्यालय ने दर्शन संनाय के अन्तर्गत श्री सप्गुरू राम सिंह जो महाराज पीठ"
 नाम एक विजिट्टम देवर होगा सिंग अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक विद्वान को एक वर्ष के
 िल्पे आगंत्रित किया जायेगा जिसे ६० ५०००/- मासिक मानदेव तथा आने जाने
 के लिये पाना-च्यम और कार्यालय व्यय । प्रासंगित च्यम के वि प्रतिवर्ष 10,000
 एगये उन्तर निध के आम ने प्रताल निष्या जायागा । पूर्ण गोठ स्थायी एम से
 स्थापित होने पर यह पीठ स्वसंत्र दवाई के स्था में नार्य करेगा ।
- . नामधारी दरवार से ऐसी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर जिसको आय से पूरे वर्ष का मानदेव तथा फोट के अवालन ब्याय का भुगतान सम्भव हो , पीठ करी
- स्थाधी किया जा सकेगा ।

 5. वीठ के अन्तर्गत निश्वता विद्वान गुरूनानक देव ,गुरू गौ विनद सिंह और श्री सद्गुरू

 5. वीठ के अन्तर्गत निश्वता विद्वान गुरूनानक देव ,गुरू गौ विनद सिंह और श्री सद्गुरू

 राम सिंह को परम्परा से सम्बद्ध विराध विषय पर गहन शोध कार्य , व्याह्मान और

 हुलनात्मक धर्म के देश में कार्य करेगें । इसके लिये सक्ष्म व्यक्ति उपलब्ध न होने पर भ

 हुलनात्मक धर्म देशन अथवा भारत की प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध किसी विषय पर

 कार्य करने की अनुमाल हो जा सकती है ।
- 6. पीठ दारा प्रतिवर्ध श्री सद्गुर रामिशंस जी महाराज वा वा भित स्मृति समारी व जाभी जित विधा जादेगा , जिसकी विधि और कार्यक्रम का निर्धारण नामधारी दरजार को पूर्व सहमति से किया जायेगा । विधिक स्मृति समारी ह के आयोजन के विधे नामधारी दरवार द्वारा प्रतिवर्ध ४० 12000/- वारह हजार ६० अतिरिक्त पुदान किया जायेगा ।
- 7. ज्ञानधारा के प्रवाह को अजम बनाये रहते वे लिये तुलनात्मक धर्म के अध्ययन हेतु दो शीच छात्रों को पीठ टारा २०१०००/- छएक हजार २०१ मासिक छात्रवृत्ति प्रदान शीच छात्रों को पीठ टारा २०१०००/- छएक हजार ३०१ मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी जिसके लिये नामधारी दरवार द्वारा प्रतिवर्ध 24,000/- ध्वीवीस हजार १४ अतिरिक्त प्रदान विदा जायेगा ।
- ह. पीठ द्वारा शोध प्रवन्धों एवं गुश्चाणाी के संस्कृत पथानुसाद इंपंजाबी च्यास्था सिंधत ह के प्रवासन तथा अपनारिक्ष पाण्यु लिपियों के सम्पादन एवं प्रवासन की सिंधत ह के प्रवासन तथा अपनारिक्ष पाण्यु लिपियों के सम्पादन एवं प्रवासन की ज्यासन विशेष शिवे अस्तिरिक्त धन को स्थाप्त नामधारी दरवार व्यवस्था को जायेगो । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स र्थप्रथम "गुरू चन्द्रोदय कोपुदी" के द्वारा को जायेगो । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स र्थप्रथम की व्यवस्था नामधारी दरवार सम्यादन एवं प्रवासन के रिवे अविधित असिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरवार वारा तो जायेगो ।
- 9. पीठ दारा प्रतिवर्ध संस्कृत एवं गुरुमुधी भाषा तथा वाह्मप के सम्सन्ध में एव मोध्से अपनी जिल की जावेगी जार . में भीरे वाले न्या के दिवे नामधारी दरवार तारा प्रतिवर्ध का जावेगी। प्रतिवर्ध का,000/- रूपवास एकार रहाई अस्तिरिक्त प्रवान किया वादेगी।

10. इस अध्यादेश के अनुन्छेद 6,7,8,और 9 में उरिलारिस ठयम के रिनराहत अतिरिवत स्थायो निधि प्राप्त हो जाने पर उसको आय से ये व्यय किये

।। पीठ द्वारा अन्य ऐसे कार्थी को सम्यन्त किया जा सकेगा जो पीठ के उद्देशकों को पूर्ति में सहायक हो अथवा उनके अनुरूप हो ।

12. योठ का संवालन पांच सदस्यों की एक श्रीमित दारा किया जायेगा जिसमें

। . बुलप ति

2. संनापाध्यक्षा -दर्शन संनाप

3. विभागा ध्यक्षा - तुल्नात्मक धर्म दर्शन विभाग-सदस्य

4. श्री सद्गुर जगजीत सिंह जी महाराज द्वारा 5-नामित दो व्यक्ति

अगवश्यकतानुसार समिति किसी सदस्य को अमिरितत कर सवेगी। 13. पोठ के नाम , उद्देश्यों और उसके कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के उपवन्धों में कोई संशोधन , परिवर्धन, परिवर्धन औ सद्गुरू जगजीत सिंह की पूर्व जन्मित और उपर्युक्त थाए 12 के अन्तर्गत गठिल सिमिति की संस्तुति के तिना नही विया जायेगा।

> Registrar Sampurnanand Sanskrit University Varanasi

3.2.3

संस्थायां गतेषु पञ्चसु वर्षेषु उद्योग-औद्योगिकाधिष्ठान-दत्तनिधि-राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रियनिकायैः अन्याभिश्च असर्वकारीयसंस्थाभिः प्रायोजितानां शोधयोजनानां कृते प्राप्तमनुदानं पीठानि च (लक्षशः)

क्र	पीठस्यनाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य	अनुदान	धनम्	अवधि
			विभागः	वर्षम्		
1	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	801472	1 वर्ष
	पीठम्					
2	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2019	709734	1 वर्ष
	पीठम्					
3	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2020	577350	1 वर्ष
	पीठम्					
4	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2021	382323	1 वर्ष
	पीठम्					
5	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	612154	1 वर्ष
	पीठम्					

क्र	योजना नाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य	प्राप्ति वर्षम्	धनम्	योजना अवधि
			विषयः			
1	अष्टादशी	प्रो0 अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	1000000	3 वर्ष
2	अष्टादशी	प्रो0 अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	400000	3 वर्ष
3	R & D	डॉ० विजय कुमार शर्मा	वेदः	2021	500000	3 वर्ष



3.2.3

संस्थायां गतेषु पञ्चसु वर्षेषु उद्योग-औद्योगिकाधिष्ठान-दत्तनिधि-राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रियनिकायैः अन्याभिश्च असर्वकारीयसंस्थाभिः प्रायोजितानां शोधयोजनानां कृते प्राप्तमनुदानं पीठानि च (लक्षशः)

क्र	पीठस्यनाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य	अनुदान	धनम्	अवधि
			विभागः	वर्षम्		
1	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	801472	1 वर्ष
	पीठम्					
2	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2019	709734	1 वर्ष
	पीठम्					
3	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2020	577350	1 वर्ष
	पीठम्					
4	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2021	382323	1 वर्ष
	पीठम्					
5	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	612154	1 वर्ष
	पीठम्					

क्र	योजना नाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य	प्राप्ति वर्षम्	धनम्	योजना अवधि
			विषयः			
1	अष्टादशी	प्रो0 अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	1000000	3 वर्ष
2	अष्टादशी	प्रो0 अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	400000	3 वर्ष
3	R & D	डॉ० विजय कुमार शर्मा	वेदः	2021	500000	3 वर्ष



3.2.3

संस्थायां गतेषु पञ्चसु वर्षेषु उद्योग-औद्योगिकाधिष्ठान-दत्तनिधि-राष्ट्रिय-अन्ताराष्ट्रियनिकायैः अन्याभिश्च असर्वकारीयसंस्थाभिः प्रायोजितानां शोधयोजनानां कृते प्राप्तमनुदानं पीठानि च (लक्षशः)

क्र	पीठस्यनाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य	अनुदान	धनम्	अवधि
			विभागः	वर्षम्		
1	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	801472	1 वर्ष
	पीठम्					
2	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2019	709734	1 वर्ष
	पीठम्					
3	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2020	577350	1 वर्ष
	पीठम्					
4	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2021	382323	1 वर्ष
	पीठम्					
5	रामसिंह	डॉ. रेणु द्विवेदी	दर्शन विभागः	2018	612154	1 वर्ष
	पीठम्					

क्र	योजना नाम	प्रमुखान्वेषकस्य नाम	प्रमुखान्वेषकस्य	प्राप्ति वर्षम्	धनम्	योजना अवधि
			विषयः			
1	अष्टादशी	प्रो0 अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	1000000	3 वर्ष
2	अष्टादशी	प्रो0 अमित कुमार शुक्ल	ज्योतिषम्	2022	400000	3 वर्ष
3	R & D	डाॅ0 विजय कुमार शर्मा	वेदः	2021	500000	3 वर्ष



सम्प्रामित्व राष्ट्रा थि विधासम् पाराणावी उर्वे विद्युक्ष रामसिंध जो महाराज पीठ -अध्यादेव धारा 51828गाउ

- यह अध्यदेश श्री सद्गुर रामासंह जी महाराज पोट अध्यादेश कहलादेगा ।
- सम्पूर्णानिक संस्कृत विश्विषालय में भी सद्गुरू रामिसंस जी महाराजवीठ भी स्थापना के ियं भी सद्गुरू जाजीत सिंह महाराज द्वारा विश्विष्यालय की प्रयत्त पांचराख रूपये की प्रनेशासि की "भी सद्गुरूरामिसंह जो महाराज वीठ निष्य "नाम से साविष्य जमा धाते में रक्षा जायमा और उससे प्राप्त आप को इसी नाम से ववत खाते में रक्षा कायमा जिसका उपयोग इस अध्यादेश के उपनन्थों के अनुसार विधा जायमा ।
- विश्वविधालय ने दर्शन संनाय के अन्तर्गत श्री अप्रुष्क राम सिंह जो महाराज पोठ"
 नाम एक विजिटिंग देपर होगा असी अन्तर्गत प्रतिवर्ध एक विदान को एक वर्ध के
 िल्पे आमीत्रित किया जायेगा जिसे ७० 5000/- मासिक मानदेव तथा आने जाने
 के तिसे याचा-ठ्यम और कार्यालय व्यथ । प्रारंगिक ठ्यम के िसे प्रतिवर्ध 10,000
 श्रामे उन्ना निर्ध के आम से प्रदान निष्या जायागा । पूर्ण गोठ स्थापी रूप से
 स्थापित होने पर यह पीठ स्वतंत्र इकाई के एवं में नार्य नरेगा ।
- . नामधारी दरवार से ऐसी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर जिसकी आप से पूरे वर्ष का मानदेव तथा फोठ के संवासन ब्रद्ध का भुगतान सम्भव हो , पोठ मनी
- स्थायी निया जा सनेगा।

 5. योठ के अन्तर्गत निमुक्त विद्वान गुक्ष्नानक देव ,गुरू गौ विनद सिंह और श्री सद्गुरू राम सिंह को परम्परा से सम्बद्ध विद्यो विषय पर गहन शोध वार्य , व्याख्यान और दुलनात्मक धर्म के दोन्न में वार्य करेंगे। इसके लिये राध्म व्यक्ति उपलब्ध न होने पर भारतीय धर्म दर्शन अथवा भारत की प्राचीन संस्कृति से सम्बद्ध किसी विषय पर वार्य वरने की अनुमान हो जा सम्बद्धी है।
- 6. पोठ द्वारा प्रतिवर्ष थी सद्गुर रामिशंड जी महाराज का वार्षित स्मृति समारोह आपोजित विधा जादेगा , जिसको तिथि और कार्यक्रम का निर्धारण नामधारी दरजार को पूर्व सहमति से किया जायेगा । विधिक स्मृति समारोह के आयोजन के विधे नामधारी दरवार द्वारा प्रतिवर्ष ४० 12000/- वारह हजार २०१ अतिरिक्त पुरान किया चायेगा ।
- 7. ज्ञानधारा के प्रवाह को अजम बनाये रही वे लिये तुलनात्मक धर्म के अध्ययन हेतु दो शोध छात्रों को पोठ दारा २०१०००/-यएक हजार २०१ मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी जिसके लिये नामधारी दरवार द्वारा प्रतिवर्ष 24,000/-१ बौबोस हजार २०१ अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा।
- शीठ दारा शोध प्रबन्धों एवं गुश्वाणा के संस्कृत पथानुनाद इंपंजाबी व्याख्या सिध्त इ के प्रकाशन कथा अवनारिक्ष पाण्यु तिपियों के समापन एवं प्रकाशन की क्षित्रक को जायेगी जिसके लिये अतिरिश्त धन को क्याख्या नामधारी दरवार व्यावस्था की जायेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स विषया "गुरू बन्द्रोदय को पुदी" के दारा को जायेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स विषया "गुरू बन्द्रोदय को पुदी" के सम्यादन एवं प्रवादन के लिये अविधित अतिरिक्त धन की व्यवस्था नामधारी दरवार कारा वी जायेगी ।
- 9. पीठ दारा प्रतिवर्ध संस्कृत एवं गुल्मुकी भाषा तथा वाद्मप के सम्बन्ध में एव गोष्ठी अपनी जिल की जायेगी जार अमें धीरे वाते व्यव के दिवे नामधारो दरवार तारा प्रतिवर्ध 50,000/- अपनास एवार राजे अस्तिरन्त प्रवान रिवस वादेगी।

10. इस अध्यादेश के अनुन्छेद 6,7,8,और 9 में उरिलाधिल व्यव के रिनरिम्हल अतिरिवत स्थायो निधि प्राप्त हो जाने पर उसको आय से ये व्यव किये

11. पीठ छारा अन्य ऐसे काथीं को सम्यम्न किया जा सकेगा जो पीठ के उद्देश्यों को पूर्ति में सहायक हो अथवा उनके अनुरूप हो ।

12. पीठ का संवालन पांच सदस्यों की एक शिमिति दारा किया जायेगा जिसमें

ा. बुलपति

2. संनापाध्यः। -दर्श संनाप

-सदस्य

3. विभागा ध्यक्षा - वुलनातम् धर्म दर्शन विभाग-सदस्य

4. श्री सद्गुरू जगजीत सिंह जी महाराज द्वारा 5-नामित दो व्यक्ति

अगवश्यकतानुसार समिति किसी सदस्य को अमिरितत कर सवेगी। 13. पीठ के नाम , उद्देश्यों और उसके कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अध्यादेश के उपवन्धों में कोई संशोधन , परिवर्धन, परिवर्धन औ सद्गुरू जगजीत सिंह की पूर्व जन्मति और उपर्युक्त खण्ड 12 के अन्तर्गत गठिल सिमिति की संस्तुति के तिना नहीं किया जायेगा ।

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित (धूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय) विश्वा मञ्चालय, भारत सरकार के अधीन 56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament (Formerly Rashtriya Sanskint Sansthan, Deumod to be University) Under Ministry of Education, Govt. of India 56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

Dated: 23.03.2022

To

The Registrar Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh - 221002

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22/09/2 200

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) 2021-22

Sir/Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/Education Institutions/Organizations vide notification No.CSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

Further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of Rs.1000000/- (Rupees ten lakh only), under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Shabdashala Project - ज्योतियशास्त्रीय वृद्ध राज्यकोश का निर्माण (P.I. - Prof. Amit Kumar Shukla, Co.P.I. - Dr. Madhusudan Mishra, Dr. Raja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website www.sanskrit.nic.in. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

संख्या-108 /2021/2585/सत्तर-4-2021-4(28)/2021

प्रेपक.

अब्दुल समद, विशेष सचिव, ३०५० शासन।

भेषा मे.

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

- । महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वायणसी।
- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गेरठ ।
- महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली ।
- छत्रपति शाह् जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुरा
- प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज ।
- डॉ0 गम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- मिदार्थं विश्वविद्यालयं कपिलवस्तु सिद्धार्थनगरं।
- वीर बहाद्र सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जीनपुर ।
- 10. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
- ख्वाजा मुईन्दीन 'वश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक:१८ दिसम्बर, 2021

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: ।दनाक:१८ ।दसम्बर, 2021 विषय- प्रदेश के गुज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति :

गहोदय.

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनातर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परिक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, 30प्र0 राज्य उच्च शिक्षा गरिगद, लखनऊ के पत्र संख्या-356/ग030शि0प0/01/2021, दिनांक 19.08.2021, पत्र संख्या-388/ग030शि0प0/01/2021, दिनांक 08.09.2021, पत्र संख्या-503/रा030शि0प0/01/2021, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्र संख्या-522/रा030 शि0प0/02/2021, दिनांक 08.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तृतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलम्भ विचाण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्व 1.09.75,832/-(स्थ्ये एक करोड नी लाख पचष्टत्तर हजार आठ सी बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रवान की जाती है;-

 रिसर्च एण्ड डेबलपमेन्ट्र योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केभिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं, आदि/यात्र। व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्ग्र आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।

्र शासनादेश्-संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वाग निर्गत रिसर्च एण्ड डेचलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन मुनिश्चित किया जाएमा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये

.

FOIVESISE information

कोवपान अक्रानम्

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित (पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित विश्वविद्यालय) शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन 56 57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058



Central Sanskrit University

Established by an Act of Parliament

(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt, of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

Dated: 23,03.2022

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22/10/ 22

To

The Registrar

Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi, Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh - 221 002

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) 2021-22 - reg..

Sir/Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/Education Institutions/Organizations vide notification No.CSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

Further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of Rs.400000/- (Rupees five lakh only), under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Reprinting of Rare Books Project - सुधाकरिद्वेविदिकृत चलनकलन ग्रन्थ का प्रकाशन (P.I. - Prof. Amit Kumar Shukla, Co.P.I. - Dr. Madhusudan Mishra, Dr. Raja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website www.sanskrit.nic.in. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc., and submit the proposal as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi – I, which is also a part of the Guidelines of Scheme, to University for final approval.

GENERAL ENQUIRY: 011-28520977, 28521994, 28524993, 28524995, 28525963
VC: 28523949, REGISTRAR: 28520979, ACD: 28521948, ADMIN: 28524532, EXAM: 28521258, N.F.S.E.: 28524387, MSP: 28523611, SCHEMES: 28520966, EMAIL: centralsanskrituniversity@gmail.com, WEBSITE: www.sanskrit.nic.in

 $\frac{4}{35}$ = 0.1142

Rec

Registrar Sampurnanand Sanskrit University Varanasi

^